संख्या-64/2022/1925ई-2/तेरह-2022-230798

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ:दिनांक 24 नवम्बर, 2022**

विषय- मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि, रूधौली आसवनी, जिला-बस्ती की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस से बढाकर 350 कार्यकारी दिवस **स्वीकृत करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढाकर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-250/दो-प्रा.डी.-108/रूधौली, दिनांक 18-11-2022 का कृपया कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-11-2022 में में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि, रूधौली आसवनी, जिला-बस्ती की 160 कि.ली. प्रतिदिन अल्कोहल उत्पादन क्षमता को यथावत रखते हुए आसवनी को वर्ष में स्वीकृत कार्यकारी दिवस को 300 दिवस से बढ़ाकर 350 दिवस किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 480 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्पद्दन किया जाएगा:-

(क) आसवक द्वारा विस्तारित क्षमता का प्रयोग किये जाने से पूर्व केन्द्र/राज्य द्वारा स्थापित सुसंगत विधियों/शासनादेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ख) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 20-07-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति सहमति एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 22-11-2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति में लगायी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ग) आसवनी द्वारा गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रेक्टिसेज (जी.एम.पी.) का पालन किया जाना अनिवार्य अनिवार्य होगा।

(घ) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर कोई राजस्व बकाया न हो ।

(ड.) आसवक द्वारा आसवनी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से पूर्ण क्षमता पर पर चलाने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in